इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2022—श्रावण 21, शक 1944

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2022

क्र. 2304-2022-इक्कीस-ब(एक).—उच्च न्यायालय से प्राप्त अधिसूचना "The Madhya Pradesh Arbitration Centre (Domestic and International) Rules, 2019" का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4 (ग) में दिनांक 24 जून, 2022 एवं दिनांक 1 जुलाई, 2022 को प्रकाशित की गई है.

"दिनांक 1 जुलाई, 2022 को प्रकाशित की गई अधिसूचना "The Madhya Pradesh Arbitration Centre (Domestic and International) Rules, 2019" निरस्त की जाती है."

उमेश पाण्डव, सचिव.

सूचना

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022

फा. क्र. 2901-2022-इक्कीस-ब(दो).—मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122 तथा धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 122 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने पर, संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को प्राप्त हो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 27 में, उप-नियम (1) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"अनुक्रमांक (1)	प्रकरण की प्रकृति (2)	मानदेय (3)
1.	मध्यस्थता के माध्यम से समझौता होने पर	रु. 5000/- प्रति प्रकरण
2.	सम्बद्ध प्रकरण	रु. 1000/- प्रति प्रकरण, अधिकतम रु. 3000/- के अध्यधीन रहते हुए (चाहे सम्बद्ध प्रकरणों की संख्या कितनी भी हो)
3.	कोई समझौता न होने की दशा में (तीन प्रभावी सुनवाईयों के बावजूद पक्षकारों के किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में असफल रहने की दशा में)	रु. 2500/-।"।

NOTICE

The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016 which the High Court of Madhya Pradesh proposes to make in exercise of the powers conferred by the Article 225 of the Constitution of India read with Section 122 and Section 128, of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), is hereby published as required by Section 122 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment by the Registrar, Madhya Pradesh High Court, Jabalpur on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the Madhya Pradesh High Court, namely:—

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 27, in sub-rule (1), for the table, the following table shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Nature of Case (2)	Honorarium (3)
1.	On Settlement through Mediation	Rs. 5,000/- per case
2.	Connected Cases	Rs. 1,000/- per case subject to a maximum of Rs. 3,000/- (regardless of the number of connected cases).
3.	In case of no Settlement (in case the party fail to arrive at an amicable settlement despite three effective hearings).	Rs. 2,500/-.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीश चंद्र शर्मा, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 2-6-2021-सात-शा-7 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप–धार (2–क) तथा सहपठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15 जुलाई, 2022 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व मण्डल की एकल सदस्यीय तथा खंड पाठ की अधिकारिता) नियम, 2021. है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "मामला" से अभिप्रेत है संहिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन कोई मामला तथा कार्यवाही;

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ग) "फुल बैंच" से अभिप्रेत है सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाली बैंच;

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है मण्डल का सदस्य और उसमें अध्यक्ष सम्मिलित है;

(ङ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है राजस्व मण्डल का अध्यक्ष;

(च) "एकल सदस्यीय बैंच" से अभिप्रेत है अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्यीय बैंच।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हों किंतु परिभाषित नहीं किए गए हों और जो संहिता में परिभाषित किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में क्रमशः उनके लिए दिए गए हों।

3. **काम का बंटवारा.**— अध्यक्ष मामलों के संबंध में समय—समय पर मंडल की पीठों के बीच काम का बंटवारा विनिश्चित करेगा।

4. **मामलों की फुल बैंच द्वारा सुनवाई एवं निराकरण का किया जाना.**— अध्यक्ष, लिखित में आदेश द्वारा यह विनिश्चित कर सकेगा कि कोई मामला अथवा मामलों के वर्ग की सुनवाई फुल बैंच द्वारा की जाएगी और उसे निराकृत किया जाएगा।

5. **एकल सदस्यीय बैंच द्वारा समावेदन सुनवाई.**— (1) एकल सदस्यीय बैंच द्वारा मामलों में समावेदन की सुनवाई की जा सकेगी और मामलों की ग्राह्यता के संबंध में यथोचित निर्णय लिए जा सकेंगे और एकल सदस्यीय बैंच द्वारा मामलों में अंतरिम आवेदनों की भी सुनवाई की जा सकेगी:

परंतु कोई एकल सदस्यीय बैंच अपने समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को, जब उसमें कोई जटिल या महत्वपूर्ण अथवा राजस्व या बंदोबस्त के मामलों की पद्धति और प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न अंतर्वलित हो, इस सिफारिश के साथ अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगी कि उसे डिवीजन बैंच के समक्ष रखा जाए।

(2) उप—नियम (1) के अधीन मामला निर्दिष्ट किए जाने की दशा में, सम्पूर्ण मामले को उसी डिवीजन बैंच द्वारा विनिश्चित किया जाएगा जिसे कि वह निर्दिष्ट किया गया हो।

(3) समावेदन सुनवाई में ग्राह्यता के बाद समस्त मामलों की अंतिम रूप से सुनवाई तथा निराकरण मण्डल की खण्डपीठ द्वारा किया जाएगा।

6. **डिवीजन बैंच द्वारा अध्यक्ष के प्रति निर्देश.**— (1) यदि किसी डिवीजन बैंच को यह प्रतीत होता हो कि उसके समक्ष लंबित कार्यवाहियों के विनिश्चय में डिवीजन बैंच के किसी पूर्ववर्ती विनिश्चय पर पुनर्विचार किया जाना अन्तर्वलित है तो वह इस सिफारिश के साथ मामले को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगी कि कार्यवाहियों को फुल बैंच के समक्ष रखा जाए।

(2) उप–नियम (1) के अधीन मामला निर्दिष्ट किए जाने की दशा में, सम्पूर्ण मामले को उसी डिवीज़न बैंच द्वारा विनिश्चत किया जाएगा जिसे कि वह निर्दिष्ट किया गया हो।

7. **मत भिन्नता होने की दशा में तीसरे सदस्य का नामांकन.**– दो सदस्यों से गठित डिवीजन बैंच के सदस्यों के बीच मत भिन्नता होने की दशा में, मामले में दोनों सदस्यों के मत को अभिलिखित किया जाएगा तथा अध्यक्ष द्वारा नामांकित तीसरे सदस्य द्वारा इन मतों पर भी विचार करते हुए मामले का अंतिम रूप से निराकरण किया जाएगा।

8. **प्राधिकृत वेबलिंक के माध्यम से सुनवाई.**– यदि किसी बैंच का कोई सदस्य शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है तो वह किसी प्राधिकृत वेबलिंक के माध्यम से कार्यवाही में सम्मिलित हो सकेगा और ऐसी दशा में सुनवाई को नियमित सुनवाई समझा जाएगा।

9. **निरसंन तथा व्यावृत्ति.**– अधिसूचना क्रमांक 1968–30–59–स्था. दिनांक 17 अक्टूबर, 1959 तत्पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1148–25–84–स्था. दिनांक 29 मई, 1984 द्वारा यथासंशोधितं संहिता की धारा 9 के अधीन एकल सदस्य तथा बैंचों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग करने के संबंध में राजस्व मण्डल द्वारा बनाए गए नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022

क्र. एफ. 2-6-2021-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-6-2021-सात-शा-7, दिनांक 10 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

No. F-2-6-2021-VII-7 Bhopal, the 10th August 2022

In exercise of the powers conferred by sub-section (2-A) of section 258 read with section 9 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 15th July, 2022, , namely :-

RULES

1. Short tile and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Mandal Ki Ekal Sadasiay Peeth tatha Khand Peeth Ki Adhikarita) Niyam, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of their final publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Case" means a case or proceedings under the Code or any other enactment for the time being in force;

(b) "Code" means Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(c) "Full Bench" means a bench comprising of all members;

(d) "Member" means a member of the Board and includes President;

(e) "President" means the President of the Board of Revenue;

(f) "Single Member Bench" means a division bench of single member as nominated by the President.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the code shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code.

3. Allocation of work.-

The President shall from time to time, decide the allocation of work, pertaining to the cases among the benches of the Board.

4. Cases to be heard and disposed of by Full Bench.-

The President may, by an order in writing, decide that any case or class of cases shall be heard and disposed of by a Full Bench.

5. Motion hearing by Single Member Bench.-

(1) A Single Member Bench may hear cases in motion hearing and take appropriate decisions regarding admission of the respective case and the Single Member Bench may also hear any interim application(s) in cases:

Provided that a Single Member Bench may refer any proceeding pending before it to the President with a recommendation that it be placed before a Division Bench when

it involves a complicated or important question of law or of practice and procedure pertaining to revenue or settlement matters.

(2) In case of making the reference under sub-rule (1), the entire case shall be decided by the Division Bench to which it is referred.

(3) After admission in motion hearing, all cases shall be finally heard and disposed of by a Division of the Board.

6. Reference to the President by division Bench.-

(1) If a Division Bench feels that the decision of the proceedings before it involves re-consideration of an earlier decision of a Division Bench, it may refer the matter to the President with a recommendation that the proceedings be placed before a Full Bench.

(2) In case of making the reference under sub-rule (1), the entire case shall be decided by the Full Bench.

7. Nomination of third member in the event of a difference of opinion.-

In the event of a difference of opinion between the members of a Division Bench comprising of two members, the opinion of both members shall be recorded in the case and the third member nominated by the President shall dispose of the matter finally after considering these opinion too.

8. Hearing through authenticated web link.-

If any member of a Bench is physically not present, he may participate in the proceeding through an authenticated web link and in such a case, the hearing shall be treated as a regular hearing.

9. Repeal and Saving.-

The Rules regarding exercise of jurisdiction by Single Member and Benches made by the Board of Revenue under Section 9 of the Code vide Notification No. 1968-30-59-Estt. Dated 17th October, 1959 as amended subsequently by Notification No.1148-25-84-Estt. Dated 29th May, 1984 are hereby repealed.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.